संख्या- 2603 /पांच- 10 -2016

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-10

लखनऊ, दिनांक 13 अक्टूबर, 2016

विषयः-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत महिला आरोग्य समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, परिवार कल्याण, 30प्र0 के पत्र संख्या-प0क0-13/सं0नि0न0/मास/128/2016-17/5367, दिनांक 27-09-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत महिला आरोग्य समिति के गठन के सम्बन्ध में निम्नवत गाईड लाइन निर्गत की जा रही है :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों, विशेषकर स्लम क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन और निगरानी सहित स्तरों पर स्वास्थ्य गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढावा देने के उद्देश्य से महिला आरोग्य समिति का गठन किया जा रहा है। महिला आरोग्य समिति का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों जैसे पोषण, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय आदि निर्धारक तत्वों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य योजना का निर्माण कराना एवं जन समुदाय को शहरी क्षेत्रों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना है। ऐसी अपेक्षा की गयी है कि यह समिति स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय सामूहिक कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाएगी एवं धीरे-धीरे विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य योजना प्रक्रिया का स्वरूप लेगी।

1- **महिला आरोग्य समिति का उद्देश्य**

महिला आरोग्य समिति का उद्देश्य निम्नलिखित है :-

- सामुदायिक स्वास्थ्य निर्धारको और स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जन सेवाओं के बारे में जानकारी देने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
- समुदाय को स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों अनुभवों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे मुददों को उठाने के एक मंच प्रदान करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

- स्थानीय रूप से प्रासंगिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुददों के बारे में समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाना और समुदाय द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वोत्तम आदतों को अपनाने हेतु बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- महिला आरोग्य समिति समुदाय में उपचारात्मक स्वास्थ्य व निवारक देखभाल सम्बन्धी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगी।
- महिला आरोग्य समिति समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप अनटाइड फण्ड के प्रबन्धन करेगी।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे आशा, ऑगनबॉडी एवं ए0एन0एम0 जो कि समुदाय एवं स्वास्थ्य इकाइयों के बीच सम्पर्क का कार्य करते है, को सहयोग प्रदान करेगी।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं के विषय में समुदाय को जानकारी प्रदान करने हेतु एक संस्थागत मंच उपलब्ध करायेगी एवं इन कार्यक्रमों के योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी जिससे एक बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिल सके।
- समुदाय स्तर के सेवाओं को व्यवस्थित करने या सुविधा प्रदान करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रेफरल सम्पर्क स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

2- **महिला आरोग्य समिति की संरचना :-**

प्रारम्भ में प्रत्येक आशा के क्षेत्र (200-500 घर) में एक महिला आरोग्य समिति का गठन किया जायेगा। तत्पश्चात स्थानीय आवश्यकताओं एवं भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत अन्य महिला आरोग्य समितियों का गठन किया जायेगा। इस प्रकार महिला आरोग्य समिति लगभग 2000 की जनसंख्या या 200 से 500 घरों को आच्छादित करेगी। यदि किसी झुग्गी बस्ती में ऑगनबॉडी केन्द्र है तो महिला आरोग्य समिति का आच्छादन ऑगनबॉडी केन्द्र के आच्छादन के अनुरूप किया जा सकता है। प्रत्येक महिला आरोग्य समिति में कम से कम 15-20 सदस्य होने चाहिए। यह बस्ती के आकार के आधार पर निर्भर करना चाहिए लेकिन समूह का आकार 10 सदस्यों से कम व 20 सदस्यों से अधिक नही होनी चाहिए। यदि बस्ती में रहने वाले लोग अलग-अलग सामाजिक समूहों के है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला आरोग्य समिति के गठन में स्लम क्षेत्रों के सभी इलाकों एवं सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

2.1 **सदस्यों का चयन :-**

आवंटित क्षेत्र में आशा द्वारा क्षेत्रीय ए0एन0एम0, ऑगनबॉडी एवं उस क्षेत्र में कार्यरत एस0एम0नेट, यूनिसेफ के सहयोग से गृह भ्रमण अथवा सर्वे के दौरान ऐसी महिलाओं को सूचीबद्ध करेगी जो कि महिला आरोग्य समिति के सदस्य के रूप में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

चिन्हित किये जा सकते हो। इस कार्य में उस क्षेत्र में कार्यरत एस0एम0नेट, यूनिसेफ प्रतिनिधियों का विशेष सहयोग लिया जाय।

उक्त सम्भावित सदस्यों को सम्मिलित किये जाने के लिए निम्नलिखित मानकों का इस्तेमाल किया जा सकता है :-

- जो स्वस्थ समुदाय की भावना रखते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता और नेतृत्व कौशल के साथ योगदान दे।
- पूर्व अनुभव हो या सामूहिक प्रयास जैसे स्वयं सहायता समूह का सदस्य या स्लम क्षेत्र के किसी सामाजिक संगठन अथवा एस0जे0एस0आर0वाई0 के बचत समूह व एन0यू0एल0एम0 में सदस्य के रूप में कार्य किया हो।
- सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार्य महिलाएं जैसे ऑगनबॉडी कार्यकर्त्री, ऑगनबॉडी सहायिका, आशा के रूप में कार्य कर रही है ।
- क्षेत्र में आवासित जनसंख्या में यदि ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग है तो उनका प्रतिनिधित्व समिति में होना चाहिए।
- उत्प्रेरक के रूप् में समुदाय स्तर पर कोई सामाजिक कार्य किया हो।
- परिवार नियोजन के क्षेत्र में आदर्श महिला जो जन सामान्य को प्रेरित कर सके।
- भविष्य में महिला आरोग्य समिति स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामुदायिक निगरानी हेतु मंच प्रदान करेगी।
- क्षेत्र में होने वाली मातृ एवं शिशु मृत्युओं का अभिलेखीकरण करना ।
- आशा द्वारा उपरोक्त सम्भावित सदस्यों महिलाओं की एक बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक में क्षेत्रीय ए0एन0एम0 एवं ऑगनबॉडी कार्यकत्रियों के साथ साथ क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वंय सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा। बैठक में आशा द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वस्थ्य कारकों यथा जैसे पोषण पेयजल स्वच्छता शौचालय आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी। बैठक में स्लम क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श किया जायेगा। बैठक में सम्भावित सदस्यों की भागीदारी के स्तर के अनुसार महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को चयनित किया जायेगा। इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि समिति में स्लम क्षेत्र के विभिन्न इलाको एवं सभी वर्गो का उचित प्रतिनिधित्व हो। वंचित समुदाय के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाय एवं उन्हें महिला आरोग्य समिति का सदस्य बनने हेतु प्रेरित किया जाय। यदि बैठक में अधिक संख्या में महिलाये प्रतिभाग करती है तो आशा द्वारा दूसरी बैठक बुलाई जा सकती है एवं इन बैठकों में सदस्यों की प्रतिभागिता आदि के आधार पर महिला आरोग्य समिति के सदस्यो का चयन किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

- आशा द्वारा चयनित सदस्यों की सूचना सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से जनपदीय नोडल अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के पश्चात आशा द्वारा महिला आरोग्य समिति के सदस्यों की प्रथम बैठक बुलायी जायेगी। प्रारम्भिक बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी /डिस्ट्रिक्ट अरबन को-आर्डिनेटर/डी0सी0पी0एम0 तथा क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिये।

2.2 अध्यक्ष एवं सचिव का चयन-

प्रारम्भिक बैठक में आम चर्चा के द्वारा महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष का चयन किया जायेगा। यदि समिति के सदस्यों में एक नाम पर सहमति नहीं बनती है तो चयनित सदस्यों के बीच मत विभाजन कराकर अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष के चयन में वरीयता निर्धारित करने के लिये शैक्षिक योग्यता, स्वयं सहायता समूह के अनुभव वाली महिला को वरीयता दी जाय। क्षेत्रीय आशा महिला आरोग्य समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगी। प्रथम बैठक की कार्यवृत्त आशा एवं सम्बन्धित ए0एन0एम0 द्वारा अभिलेखित किया जायेगा एवं इसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुरक्षित रखी जायेगी।

2.3 महिला आरोग्य समिति के पदाधिकारी तथा उनकी भूमिकायें-

अध्यक्ष- महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष का चयन महिला आरोग्य समिति के सदस्यो की प्रथम बैठक में आपसी चर्चा द्वारा किया जायेगा। यदि आपसी चर्चा में अध्यक्ष का चयन किया जाना सम्भव नहीं है तो चयनित सदस्यों के मध्य मत विभाजन द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जायेगा। यदि 02 सदस्यों को बराबर मत प्राप्त होते हैं तो आशा को भी मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष, महिला आरोग्य समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगी। यदि किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जायेगा। बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा आशा के सहयोग से किया जायेगा। अध्यक्ष द्वारा मासिक बैठक का एजेण्डा व उसकी कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जायेगा। अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को घरों का आवंटन करें, जिससे सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में समिति को अवगत करा सके। समिति द्वारा जन समुदाय में संचालित की जाने वाली स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों यथा स्वास्थ्य पोषण दिवस, आउटरीच कैम्प के सफल आयोजन हेतु आशा को ऑगनबाड़ी व ए0एन0एम0 के साथ समन्वय बनाने में सहयोग प्रदान करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष द्वारा असम्बद्ध धनराशि (अन्टाइड फण्ड) के के संयुक्त हस्ताक्षरी के रूप् में खाते का संचालन किया जायेगा।

सचिव- आशा महिला आरोग्य समिति की सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगी। सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि वो मासिक बैठक के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थायें करें। सचिव द्वारा सदस्यों के सहयोग से बैठक हेतु स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में सभी सदस्यों को बैठक के 07 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्देशन में बैठक का एजेण्डा एवं कार्यवृत्त का निर्धारण किया जायेगा। सचिव द्वारा महिला आरोग्य समिति से सम्बन्धित सभी वित्तीय (कैश बुक, चेक बुक, बैंक पास बुक एवं वाउचर आदि) व गैर वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा। सचिव द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित होने वाले मासिक बैठक में महिला आरोग्य समिति के द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया जायेगा एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारी को समिति के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जायेगा। सचिव द्वारा असम्बद्ध धनराशि (अन्टाइड फण्ड)के संयुक्त हस्ताक्षरी के रूप में खाते का संचालन किया जायेगा। सचिव द्वारा बैठक में आय-व्यय का पूर्ण विवरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ/संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

3. **<u>महिला आरोग्य समिति की बैठक-</u>**

महिला आरोग्य समिति की बैठक प्रतिमाह आशा द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जायेगी। समिति की सदस्यों की सहमति से बैठक हेतु एक निश्चित दिवस (यथा महीने का दूसरा शनिवार या तीसरा रविवार) सुनिश्चित कर लिया जाये। बैठक हेतु स्थान, तिथि एवं समय की सूचना सभी सदस्यों को बैठक से कम से कम 07 दिवस पूर्व अवश्य प्रेषित की जायेगी। बैठक की सूचना क्षेत्र में कार्यरत ए0एन0एम0, ऑगनवाड़ी तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अवश्य प्रेषित की जायेगी। बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सहयोग से एक निर्धारित एजेण्डा विकासित किया जायेगा। बैठक का समय इस प्रकार रखा जायेगा जिससे सदस्यों को इसमें प्रतिभाग करने में कोई परेशानी न हो। बैठक हेतु एजेण्डा के प्रारूप उदाहरणार्थ निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार सचिव/अध्यक्ष की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है:-

3.1 **<u>महिला आरोग्य समिति की बैठक हेतु एजेण्डा का प्रारूप</u>**

समय	चर्चा के बिन्दु	वक्ता
	परिचय एवं स्वागत	सदस्य सचिव
	गत बैठक की अनुपालन आख्या	सदस्य सचिव
	विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा	ए0एन0एम0/प्रभारी चिकित्साधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

	वित्तीय प्रगति (अनटाईड फण्ड) की समीक्षा	कोषाध्यक्ष
	नवीन प्रस्ताव	सदस्य
	अन्य कोई बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से	सदस्य
	धन्यवाद ज्ञापन	सदस्य सचिव

3.2 **<u>महिला आरोग्य समिति के सदस्य का निष्कासन-</u>**

यदि कोई सदस्य तीन माह तक लगातार बिना किसी उचित कारण के मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहती है तो उसे महिला आरोग्य समिति से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई सदस्य एक वर्ष में (12 बैठकों में) से 06 बैठकों में अनुपस्थिति रहती है तो उसे महिला आरोग्य समिति से हटाया जा सकता है। उक्त परिस्थितियों में समिति को हटाये गये सदस्य के स्थान पर बहुमत के आधार पर नवीन सदस्य चयन करने का अधिकार होगा।

4. **<u>वित्तीय व्यवस्था-</u>**

प्रत्येक महिला आरोग्य समिति के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत बैंक खाता खोला जायेगा। उक्त खाते में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त असम्बद्ध धनराशि (अन्टाइड फण्ड) एवं अन्य स्रोतों यथा दान, पुरस्कार आदि से प्राप्त होने वाली धनराशि जमा की जायेगी। खाते का संचालन चयनित अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव आशा के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। खाते की पास बुक एवं चेक बुक महिला आरोग्य समिति की सचिव के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

- महिला आरोग्य समिति के असम्बद्ध धनराशि (अन्टाइड फण्ड) के व्यय करने हेतु सदस्य सचिव अथवा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव महिला आरोग्य समिति की बैठक में लाया जायेगा। उक्त् प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष निर्देशन में धनराशि व्यय की जायेगी एवं व्यय सम्बन्धी बिल/वाउचर आदि सचिव के पास सुरक्षित रखी जायेगी। सचिव द्वारा महिला आरोग्य समिति के व्यय विवरण को अभिलेखित करने के लिये एक कैश बुक भी भरी जायेगी। महिला आरोग्य समिति के वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन समय-समय पर क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा एवं अर्द्धवार्षिक रूप से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
- व्यय विवरण एंव अवशेष धनराशि की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट आशा द्वारा माहवार तैयार कर प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रेषित की जायेगी। महिला आरोग्य समिति द्वारा वार्षिक व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

पत्र वार्षिक रूप से प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास जमा की जायेगी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा संकलित सूचना जनपद स्तर को प्रेषित की जायेगी।

- आकस्मिकता की स्थिति में अध्यक्ष महिला आरोग्य समिति एवं सदस्य सचिव आशा के संयुक्त निर्णय के आधार पर महिला आरोग्य समिति के खाते में उपलब्ध कुल धनराशि का अधिकतम 20 प्रतिशत बिना समिति से अनुमोदन प्राप्त किये व्यय किया जा सकता है, परन्तु समिति की अगली बैठक में प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- महिला आरोग्य समिति की धनराशि निम्न गतिविधियों में व्यय की जा सकती है:-
  - महिला आरोग्य समिति के बैठक रजिस्टर, कैश बुक एवं अन्य स्टेशनरी हेतु।
  - महिला आरोग्य समिति की बैठक हेतु बैनर, दरी, जग, गिलास इत्यादि हेतु।
  - स्वच्छता अभियान एवं आरोग्यकारी गतिविधियॉ, स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियॉ, संक्रामक रोक नियन्त्रण, यू0एच0एन0डी0 आदि हेतु।
  - स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार यथा दीवार लेखन, माइकिंग, मुनादी आदि हेतु।
  - असामान्य परिस्थितियों में किसी अति निर्धन परिवार या बेसहारा महिला की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के निदान हेतु।
  - अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर के सुधार के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संचालन हेतु।
  - स्वास्थ्य सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान जो क्षेत्रीय संस्कृति, क्षमता एवं प्राकृतिक वातावरण के समानुरूप हो, को सामुदायिक परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ावा देगी।
  - इसके अतिरिक्त महिला आरोग्य समिति द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार बजट को ध्यान में रखते हुए अन्य गतिविधियॉ समिति के अनुमोदनोपरान्त की जा सकती है। महिला आरोग्य समिति की असम्बद्ध धनराशि (अन्टाइड फण्ड)का उपयोग उन्ही क्रिया-कलापों के लिये किया जाना चाहिये जिसके लिये धनराशि किसी अन्य योजना में उपलब्ध न हो एवं अधिक से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

5. <u>महिला आरोग्य समिति की क्षमता वृद्धि-</u>

महिला आरोग्य समिति की क्षमता वृद्धि एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। महिला आरोग्य समिति के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु सदस्यों का महिला आरोग्य समिति उद्देश्य, गतिविधियॉ एवं सदस्यों की भूमिका पर अभिमुखीकरण अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल उपयोग में लाया जायेगा। महिला आरोग्य समिति के सभी सदस्यों का प्रत्येक छः माह में एक बार एक दिवसीय अभिमुखीकरण एवं अध्यक्ष व सचिव पदाधिकारियों एवं ए0एन0एम0 का तीन दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण किया जाना चाहिये। प्रशिक्षण में स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जा सकता है:-

- सामुदायिक सहभागिता एवं महिला आरोग्य समिति की आवश्यकता।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य।
- स्वास्थ्य एवं उसके निर्धारकों जैसे-पोषण, पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई।
- असमानता की अवधारणा, जोखिम पूर्ण, सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित लोग व इनका जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव।
- महिला आरोग्य समिति के उद्देश्य, भूमिका एवं गतिविधियॉ।
- कमजोर समूह की पहचान करना तथा उसकी लाइन लिस्टिंग करना।
- सामुदायिक स्वास्थ्य नियोजन एवं उसके क्रियान्वयन के लिये समिति के प्रत्येक सदस्यों की भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।
- सेवा प्रदाता एवं समुदाय के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य निकटवर्ती चिकित्सालयों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना।
- अरबन पी0एच0सी0 के सेवा प्रदाता एवं महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के सम्बन्ध में क्षमतावर्द्धन करना जिससे प्रजनन, टीकाकरण, रोग़ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली नियमित आपूर्ति प्राप्त की जा सके।
- समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना कि वे आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों के बारे में समुदाय को पूर्व जानकारी दें एवं सत्रों के दौरान भी लाभार्थी को लाना सुनिश्चित करें।

6. <u>महिला आरोग्य समिति हेतु अपेक्षित परिणाम-</u>

- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता और स्थानीय स्तर से स्वास्थ्य मुद्दों पर समुदाय की जागरूकता बढ़ाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

- स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित सामुदायिक निगरानी।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण एंव परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवाओं के लिये संदर्भन तंत्र विकसित करना।

भवदीय,

(अरूर्ण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2603 (1)/पॉच-10-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग/नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
2- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned by CamScanner